9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–2/एल–44/2025– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० अरविन्द कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूनी सैदपुर, सीतामढ़ी के विरुद्ध कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–1717(9) दिनांक–25.09.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में डा० कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या–1430(9) दिनांक–28.08.2004 द्वारा निलंबित कर दिया गया था एवं पुनः इन्हें अधिसूचना संख्या–1287(9) दिनांक–22.09.2005 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूनी सैदपुर, सीतामढ़ी में योगदान करने हेतु आदेश दिया गया था।

2.डा० कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या–1287(9) दिनांक–22.09.2005 द्वारा निलंबन से मुक्त किये जाने के बावजुद इन्होंने अपने पदस्थापित संस्थान में योगदान नहीं दिया एवं दिनांक–01.06.2008 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें। इनके द्वारा अपने कर्त्तव्य पर दिनांक–02.06.2008 को योगदान दिया गया। अतः दिनांक–22.09.2005 से 02.06.2008 तक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के आरोप में डा० कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या–819(9) दिनांक–28.06.2012 विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3.विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–323(9) दिनांक–05.05.2014 द्वारा डा० कुमार को निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :–

(i) निन्दन की सजा ।

(ii) दिनांक–22.02.2005 से 01.06.2008 तक की अवधि के लिए ***"काम नहीं तो वेतन नहीं"*** के सिद्धान्त पर उन्हें वेतन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा इस अवधि के लिए इन्हें असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

4.अतः डा० अरविन्द कुमार सेवानिवृत्ति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्तीपुर के दिनांक–22.02.2005 से 01.06.2008 तक की अवधि को विभागीय अधिसूचना संख्या–323(9) दिनांक–05.05.2014 के आलोक में ***"काम नहीं तो वेतन नहीं"*** के सिद्धांत के आधार पर असाधारण अवकाश (पेंशन प्रदायी) के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

D>Sec-2>2024>adesh 2024

ज्ञापांक–2/एल–44/2025– 64(2) पटना, दिनांक 13/01/2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्तीपुर/डा० अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्ति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्तीपुर पत्राचार का पता–बंगालीटोला, समस्तीपुर, पिन–848101/प्रशाखा–3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

प्रतिलिपिः आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव